


# कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

## आदेश

05 नि./अंके. (पैक्स अंकेक्षण)-65/2015

विभागीय आदेश संख्या-3780 दिनांक 03.05.2016 द्वारा विभाग में सूचीबद्ध सनदी लेखाकारों को पैक्स के दिनांक 31.03.2015 तक के अभिलेखों का अंकेक्षण दिनांक 30.06.2016 तक किये जाने हेतु निदेशित किया गया है। परंतु विभागीय आदेश संख्या-1580 दिनांक 02.03.2016 द्वारा आदेश संख्या-328 दिनांक 15.01.2015 के तहत सूचीबद्ध सनदी लेखाकारों की वैधता मात्र 31.05.2016 तक ही पूर्व में विस्तारित की गयी थी।

चूँकि आदेश संख्या-328 दिनांक 15.01.2015 के तहत सूचीबद्ध सनदी लेखाकार भी पैक्स के अंकेक्षण हेतु अधिकृत हैं। अतः उनके वैधता की तिथि पुनः दिनांक 31.05.2016 से विस्तारित कर दिनांक 30.06.2016 किया जाता है।

  
(अजय कुमार चौधरी)  
निबंधक, सहयोग समितियाँ,  
बिहार, पटना


ज्ञापांक.....4505...../पटना, दिनांक.....25.5.16.....

- प्रतिलिपि :- 1. सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि./सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ/विभागीय पैनल के सभी सनदी लेखाकार/राज्य के सभी पैक्स अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी पदाधिकारी कम्प्यूटर कोषांग को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को ई-मेल द्वारा संसूचित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

निबंधक, सहयोग समितियाँ,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक.....4505...../पटना, दिनांक.....25.5.16.....

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
निबंधक, सहयोग समितियाँ,  
बिहार, पटना